न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2022(रसद) (GCMS 2022/320)	17.09.2022	30.11.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

सुरेश चन्द्र पुत्र भगवान दास वैष्णव निवासी जाशमा जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी एक तरफा — पैरोकार सरकार विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 17.09.2000 को रात्रि 9 बजे पुलिस उप अधीक्षक कपासन को जरिये मुखबिर सूचना मिली की सुरेश कुमार पुत्र भगवान दास वैष्णव निवासी जाशमा जिसकी बस स्टैण्ड जाशमा पर दो पहिया वाहन ठीक करने की दुकान है। उसने अपनी दुकान पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ रख रखे है तथा अवैध रूप से विक्रय करने का कार्य किया जा रहा है। जिस पर पुलिस उप अधीक्षक मय स्टॉफ जाशमा बस स्टैण्ड पहुंच कर विपक्षी की दुकान पर पडा हुआ एक काले रंग के जरीकेन में पेट्रोलियम पदार्थ जो लगभग 10 लीटर जिसका जब्त किया जाकर पुलिस थाना में रखा गया। इस बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट 246/2000 दिनांक 18.09.2000 को अन्तर्गत धारा 3/7 ईसी एक्ट व मोटर स्पिरिट व हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रीवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) आदेश 2005 के अन्तर्गत जरीकेन में जब्त 10 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के लिये चालान तैयार कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपासन के न्यायालय में तत्समय प्रस्तुत किया गया किन्तु माननीय न्यायायल के श्रवणाधिकार में नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने उनके द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 165/2001 दिनांक 08.07.2022 से सक्षम न्यायालय से निस्तारण की कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय आदेश की पालना में पुलिस थाना आकोला द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 994 दिनांक 02.07.2022 को माल निस्तारण हेतु आप जिला मजिस्ट्रेअ को पत्र पृष्टांकित किया गया है। अतः दिनांक 18.09.2000 को विपक्षी सुरेश चन्द्र पिता भगवान दास वैष्णव निवासी जाशमा से जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरीकेन राजसात करने की कृपा करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 30.11.2022 को विपक्षी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एकतरफा सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। सुनी गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाये जाने से विपक्षी की ओर से पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज, लाईसेंस एवं प्रस्तुत आवेदन का खण्डन पत्रावली पर नहीं होना जाहिर होता है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरीकेन राजसात किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट 246/2000 दिनांक 18.09.2000 में जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरीकेन को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरीकेन को थानाधिकारी, पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी आकोला चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.11.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official